छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग,
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

// अधिसूचना //

नवा रायपुर दिनांक०१ दिसम्बर, 2022

क्रमांक एफ 20-33/2022/11/6 : चूंकि, राज्य शासन को यह समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है,

राज्य शासन द्वारा औद्योगिक नीति 2019-24 दिनांक 01 नवम्बर 2019 से प्रभावी की गई है। छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 20-01/ 2019/11/(6) दिनांक 22 अक्टूबर, 2020 से औद्योगिक नीति 2019-24 में किए गये संशोधन के तहत् परिशिष्ट 6.20 में ''औद्योगिक क्षेत्रों/पार्को में भू-आबंटन पर भू-प्रीमियम में छूट/रियायत'' प्रावधानित किया है, अतः राज्य शासन एतद् द्वारा उद्योग विभाग एवं छत्तीसगढ़ स्टेट इन्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड के औद्योगिक क्षेत्रों /औद्योगिक पार्को में औद्योगिक नीति 2019-24 के परिशिष्ट-4, संतृप्त (अपात्र) श्रेणी के उद्योगों व परिशिष्ट-5, कोर सेक्टर उद्योगों की सूची में दर्शाये गये उद्योगों को छोड़कर शेष सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों की नवीन स्थापना, विद्यमान उद्योगों के विस्तार, डायवर्सीफिकेशन (शवलीकरण) हेतु आबंटित की जाने वाली भूमि पर भू-प्रब्याजि में निम्नानुसार छूट/रियायत संबंधी नियम दिनांक 01 नवम्बर 2019 से लागू करता है :-

सूक्ष्म एवं लघु तथा मध्यम उद्योग

क्षेत्र, जहां औद्योगिक क्षेत्र स्थापित है/ स्थापित होंगें	उद्योगों की श्रेणी	उद्यमियों का वर्ग			
		सामान्य वर्ग	अप्रवासी भारतीय, प्रत्यक्ष विदेशी निवेशकों (एफ.डी. आई.), निर्यातक उद्योगों तथा विदेशी तकनीक के साथ परियोजनाएं स्थापित करने वाले उद्यमी	महिला उद्यमी, तृतीय लिंग, भारतीय सेना से सेवानिवृत्त राज्य के सैनिक एवं नक्सलवाद से प्रभावित व्यक्ति/ परिवार एवं निःशक्त उद्यमी	अनुसूचित जाति / जनजाति वर्ग के उद्यमी
1.	2.	3.	4.	5.	6.
श्रेणी-अ (विकसित क्षेत्र, औद्योगिक नीति 2019-24 के परिशिष्ट-7 (अ) के अनुसार)	अ-सामान्य उद्योग	निरंक	निरंक	निरंक	100 प्रतिशत
	ब-प्राथमिकता उद्योग	20 प्रतिशत	25 प्रतिशत	30 प्रतिशत	100 प्रतिशत
	स-उच्च प्राथमिकता उद्योग	30 प्रतिशत	35 प्रतिशत	40 प्रतिशत	100 प्रतिशत
श्रेणी-ब (विकासशील क्षेत्र, औद्योगिक नीति 2019-24 के परिशिष्ट-7 (ब) के अनुसार)	अ-सामान्य उद्योग	निरंक	निरंक	निरंक	100 प्रतिशत
	ब-प्राथमिकता उद्योग	30 प्रतिशत	35 प्रतिशत	40 प्रतिशत	100 प्रतिशत
	स-उच्च प्राथमिकता उद्योग	40 प्रतिशत	45 प्रतिशत	50 प्रतिशत	100 प्रतिशत

क्षेत्र, जहां औद्योगिक क्षेत्र स्थापित है/ स्थापित होंगें	उद्योगों की श्रेणी	उद्यमियों का वर्ग			
		सामान्य वर्ग	अप्रवासी भारतीय, प्रत्यक्ष विदेशी निवेशकों (एफ.डी. आई.), निर्यातक उद्योगों तथा विदेशी तकनीक के साथ परियोजनाएं स्थापित करने वाले उद्यमी	महिला उद्यमी, तृतीय लिंग, भारतीय सेना से सेवानिवृत्त राज्य के सैनिक एवं नक्सलवाद से प्रभावित व्यक्ति/ परिवार एवं निःशक्त उद्यमी	अनुसूचित जाति / जनजाति वर्ग के उद्यमी
1.	2.	3.	4.	5.	6.
श्रेणी–स (पिछड़े क्षेत्र, औद्योगिक नीति 2019–24 के परिशिष्ट–7 (स) के अनुसार)	अ–सामान्य उद्योग	30 प्रतिशत	35 प्रतिशत	40 प्रतिशत	100 प्रतिशत
	ब–प्राथमिकता उद्योग	40 प्रतिशत	45 प्रतिशत	50 प्रतिशत	100 प्रतिशत
	स–उच्च प्राथमिकता उद्योग	50 प्रतिशत	55 प्रतिशत	60 प्रतिशत	100 प्रतिशत
श्रेणी–द (अति पिछड़े क्षेत्र, औद्योगिक नीति 2019–24 के परिशिष्ट–7 (द) के अनुसार)	अ–सामान्य उद्योग	40 प्रतिशत	45 प्रतिशत	50 प्रतिशत	100 प्रतिशत
	ब–प्राथमिकता उद्योग	50 प्रतिशत	55 प्रतिशत	60 प्रतिशत	100 प्रतिशत
	स–उच्च प्राथमिकता उद्योग	60 प्रतिशत	65 प्रतिशत	70 प्रतिशत	100 प्रतिशत

1– उपरोक्त छूट/ रियायत औद्योगिक नीति 2019–24 के अन्तर्गत लॉजिस्टिक हब, वेयर हाउसिंग (गोदाम) एवं कोल्ड स्टोरेज की नवीन स्थापना तथा पूर्व स्थापित लॉजिस्टिक हब, वेयर हाउसिंग (गोदाम) एवं कोल्ड स्टोरेज के विस्तार तथा फिल्म स्टूडियो, एडिटिंग स्टूडियो, साउन्ड रिकार्डिंग स्टूडियों की स्थापना एवं फिल्म प्रोसेसिंग से संबंधित गतिविधियों के प्रकरणों में भी प्राप्त होगी ।

2– औद्योगिक क्षेत्रों में अनुसूचित जाति/ जनजाति वर्ग के उद्यमियों को भू–प्रब्याजि में 100 प्रतिशत छूट औद्योगिक व सेवा उद्यमों हेतु है व इस वर्ग के उद्यमियों पर भू–भाटक की दर 1 रू. वार्षिक प्रति एकड़ की दर से अधिरोपित की जावेगी । संधारण शुल्क, स्ट्रीट लाईट शुल्क, जल शुल्क व अन्य कर एवं अन्य उपकरों पर कोई रियायत/छूट नहीं होगी।

3– छत्तीसगढ़ राज्य स्टार्ट अप पैकेज के अधीन भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में पंजीकृत एवं वैध प्रमाण पत्र धारित करने वाले तथा छत्तीसगढ़ स्टार्टअप पोर्टल में पंजीकृत स्टार्टअप इकाईयों (विनिर्माण/सेवा) को उद्योग विभाग एवं छत्तीसगढ़ स्टेट इन्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड के औद्योगिक क्षेत्रों /औद्योगिक पार्कों में आबंटित की जाने वाली भूमि पर भू–प्रब्याजि में 50 प्रतिशत छूट प्राप्त होगी।

4– इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 20–01/2019/11/(6) दिनांक 04.11.2020 द्वारा औद्योगिक नीति 2019–24 के परिशिष्ट 6.23 के तहत्, औद्योगिक नीति 2019–24 के परिशिष्ट–7(स) एवं परिशिष्ट–7(द) श्रेणी के विकासखण्डों में वनोपज, हर्बल तथा खाद्य प्रसंस्करण उत्पादों के निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए वनांचल उद्योग पैकेज का समावेश किया गया है।

वनांचल उद्योग पैकेज के तहत् केवल वनोपज, हर्बल तथा खाद्य प्रसंस्करण उत्पादों के निर्माण से संबंधित प्रस्तावित लघु उद्योग को विभाग/ सीएसआईडीसी के लैण्ड बैंक में उपलब्ध अविकसित भूमि आबंटन के मामले में ''छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम, 2015'' के प्रावधानों के अंतर्गत नियमानुसार एवं पात्रतानुसार तत्समय प्रचलित केन्द्रीय मूल्यांकन बोर्ड द्वारा क्षेत्र हेतु निर्धारित गाईडलाईन दरों पर औद्योगिक नीति 2019-24 के परिशिष्ट-7(स) विकासखण्ड क्षेत्रों में 25 प्रतिशत तथा परिशिष्ट-7(द) विकासखण्डों में 50 प्रतिशत छूट दी जायेगी। इस हेतु प्रस्तावित लघु उद्योगों के द्वारा प्लांट एवं मशीनरी के अंतर्गत न्यूनतम रूपये 50 लाख तथा अधिकतम रूपये 5 करोड़ का निवेश किया जाना आवश्यक होगा।

5- उपरोक्तानुसार छूट/रियायत निम्नांकित शर्तो के अधीन होगी :-

5.1- उद्योगों को वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से अकुशल श्रमिकों में 100 प्रतिशत, कुशल श्रमिकों में न्यूनतम 70 प्रतिशत तथा प्रशासकीय/ प्रबंधकीय पदों पर न्यूनतम 40 प्रतिशत रोजगार राज्य के मूल निवासियों को प्रदान करना अनिवार्य होगा ।

5.2- सूक्ष्म, लघु उद्योगों के प्रकरणों में भू-आधिपत्य प्राप्त होने के दिनांक से 3 वर्ष एवं मध्यम उद्योगों के प्रकरणों में भू-आधिपत्य प्राप्ति से 4 वर्ष के भीतर वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करना आवश्यक होगा, परन्तु औद्योगिक इकाई के अभ्यावेदन पर प्रकरण के गुण-दोष के आधार पर छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम 2015 के अधीन सक्षम अधिकारी द्वारा उत्पादन प्रारंभ करने की अवधि बढ़ायी जा सकेगी।

5.3- इन नियमों के अधीन उच्च प्राथमिकता उद्योग/प्राथमिकता उद्योग श्रेणी का लाभ प्राप्त करने हेतु उद्योग संचालनालय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

5.4- यदि छूट/रियायत दिये जाने के पश्चात् यह पाया जाता है कि औद्योगिक इकाई ने उक्त छूट/रियायत गलत तथ्य/प्रमाण प्रस्तुत कर प्राप्त कर ली है तो छूट/रियायत की राशि / अतिरिक्त छूट की राशि 12 प्रतिशत वार्षिक दर से साधारण ब्याज सहित, भू-राजस्व के बकाया की वसूली के सदृश्य, वसूल की जावेगी अथवा वसूली योग्य राशि औद्योगिक इकाई को प्राप्त होने वाले अन्य वित्तीय/ कराधान सुविधाओं/ छूट में भी समायोजित की जा सकेगी ।

5.5- आवेदक इकाई को उपरोक्त शर्तो की पूर्ति के लिये यथा स्थिति छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड या मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के साथ एक अनुबंध, स्वयं के व्यय पर निष्पादित व पंजीकृत कराना होगा।

5.6- आवेदकों को भू आबंटन हेतु निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र के साथ सक्षम अधिकारी द्वारा जारी यथास्थिति अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग का स्थायी जाति प्रमाण पत्र/अप्रवासी भारतीय, प्रत्यक्ष विदेशी निवेशक (एफ.डी.आई), निर्यातक उद्योग तथा विदेशी तकनीक के साथ परियोजनाएं प्रारंभ करने वाले उद्यमी तथा महिला उद्यमी,

तृतीय लिंग, भारतीय सेना से सेवा निवृत्त राज्य के सैनिक, नक्सलवाद से प्रभावित व्यक्ति/ परिवार एवं निःशक्त, स्टार्ट अप पंजीयन संबंधी प्रमाण पत्र/ अभिलेख प्रस्तुत करने होंगे।

5.7- इस अधिसूचना के क्रियान्वयन हेतु वही परिभाषाएं लागू होगीं जो औद्योगिक नीति 2019-24 के परिशिष्ट-1 पर संलग्न हैं।

5.8- किसी भी विवाद पर राज्य शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग का निर्णय अंतिम तथा बंधनकारी होगा ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(भुवनेश यादव)
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

पृष्ठा.क्र. एफ 20-33/2022/11/6 नवा रायपुर, दिनांक 09 दिसम्बर 2022

प्रतिलिपिः-

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, समस्त विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर।
2. संचालक उद्योग, उद्योग संचालनालय, उद्योग भवन, रायपुर ।
3. प्रबंध संचालक, सीएसआईडीसी, उद्योग भवन, रायपुर ।
4. समस्त मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र .....
5. नियंत्रक, शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, छत्तीसगढ़ राजनांदगांव की ओर अग्रेषित कर निवेदन है कि उपर्युक्त अधिसूचना छत्तीसगढ़ राजपत्र के आगामी अंक में मुद्रित करवाकर 250 प्रतियां इस विभाग को उपलब्ध करायें।

सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग